बिहार सरकार
खाद्य एव उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्राक – प्र07–कि0आ0–03 / 2017 6210 खाद्य, पटना / दिनाक– 7/12/2017

प्रेषक

पंकज कुमार
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा मे

सभी जिला पदाधिकारी ।

विषय :– ठेला भेण्डर के माध्यम से किरासन तेल के आवटन के संबंध में ।

प्रसंगः– इस कार्यालय का पत्रांक 5831 दिनांक 20.11.2017

महाशय

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में ठेला भेंडर के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में किरासन तेल के वितरण के संबंध में ग्रामीण क्षेत्रों में ठेला भेंडरों के टैगिंग के संबंध में मार्गदर्शन की मांग की गयी थी, इस संबंध में प्रावधान निम्नवत है:–

ठेला भेंडर की अनुज्ञप्ति बिहार व्यापारिक वस्तु (अनुज्ञप्ति एकीकरण), आदेश, 1984 के तहत निर्गत है जिसके कंडिका–9 में यह प्रावधान है कि अनुज्ञापन पदाधिकारी (उचित अवसर प्रदान करने के बाद) गोदाम, कारोबार, स्थान, भागीदारों के नामों, व्यापरिक वस्तुओं आदि के संबध में अनुज्ञप्ति में की गयी प्रविष्टिया में अनुज्ञप्तिधारी के आवेदन पर आवश्यक परिवर्द्धन, विलोपन तथा परिवर्तन कर सकेगा तथा भाग–04 के कंडिका–27 के (ग) के तहत अनुमंडल पदाधिकारी एवं विशिष्ट पदाधिकारी अनुभाजन, अनुज्ञापन पदाधिकारी घोषित हैं। विभागीय पत्र – 1004, दिनांक–22.03.2006 के द्वारा ठेला भेंडरों द्वारा किरासन तेल वितरण व्यवस्था को सुदृढ करने के संबंध में दिशा–निर्देश निर्गत है एवं विभागीय पत्र–2054 दिनांक–19.06.2007 द्वारा भी उक्त प्रावधानों से सभी जिला पदाधिकारियों को अवगत कराया जा चुका है।

अतः विभागीय पत्र–5831 दिनांक–20.11.2017 द्वारा Non-NFSA ग्रामीण परिवारों को ठेला भेंडर के माध्यम से किरासन तेल वितरण का क्षेत्र निर्धारण हेतु अनुज्ञापन पदाधिकारीयों द्वारा ठेला भेंडरों की अनुज्ञप्ति में तत्संबंधी बिहार व्यापारिक वस्तु (अनुज्ञप्ति एकीकरण) आदेश 1984 के कंडिका–09 के आलोक में प्रावधान करते हुए अग्रेत्तर कार्रवाई सुनिश्चित करें।

विश्वासभाजन,

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक – प्र07–कि0आ0–03 / 2017 6210 खाद्य, पटना / दिनांक– 7/12/2017

प्रतिलिपिः– सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ एवं अनुरोध है कि भवदीय स्तर से भी इसकी समीक्षा करने की कृपा की जाय ।

सरकार के विशेष सचिव।

(37)

बिहार व्यापारिक वस्तु (अनुज्ञापत्र एकीकरण) आदेश 1984[1]

(यथा संशोधित)

जी० एस० आर० 9 दिनांक 19 अप्रील, 1984—भारत सरकार के कृषि एवं सिंचाई मंत्रालय खाद्य विभाग के जी० एस० आर० संख्या 452 (ई) दिनांक 25 अक्टूबर 1972, 168 (ई) दिनांक 13 मार्च 1973 तथा 800, दिनांक 9 जून 1978 व अधीन प्रकाशित और उद्योग एवं रसद मंत्रालय (नागरिक रसद एवं सहकारिता विभाग) के एस० ओ० 681 (ई) तथा 682 (ई दिनांक 3 नवम्बर 1974 के अधीन प्रकाशित आदेशों के साथ पठित आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का केन्द्रीय नि 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार की सहमति से बिहार राज्यपाल इसके द्वारा निम्नलिरि आदेश बनाते हैं अर्थात्

भाग 1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार तथा प्रारंभ—(1) इस आदेश का नाम बिहार व्यापारिक वस्तु (अनुज्ञा पत्र एकी आदेश, 1984 है।

(2) इसका प्रसार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. परिभाषाएँ—इस आदेश में जब तक संदर्भ में अनयथा अपेक्षित न हो—

(क) ''थोक उपभोक्ता'' से कोई होटल, रेस्तरा, हलवाई, अस्पताल, छात्रावास सुविधाओं सहित कोई शैक्षिक संस्थ छात्रावास सुविधाओं सहित धार्मिक या पूर्त संस्था अभिप्रेत है,

(ख) [2][* * *]

[3](ग) ''समाहर्त्ता'' के अन्तर्गत उपायुक्त, अपर समाहर्त्ता एवं अनुमंडल पदाधिकारी से अन्यून ऐसे अन्य पदाधिकारी हैं जो समाहर्त्ता द्वारा समाहर्त्ता के कृत्यों का निर्वहन करने तथा शक्तियों के प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत किये जाएं

[3][(घ) ''आयुक्त'' से अभिप्रेत है ''प्रमंडलीय आयुक्त''

---

1. बिहार गजट (असाधारण) दिनांक 19.4.1984 में प्रकाशित।

2. जी. एस. आर. 12 दिनांक 21.4.1992 द्वारा 'कोयला' लुप्त।

3. जी. एस. आर. 47 दिनांक 17.10.1985 द्वारा प्रतिस्थापित।

जाएगी। यह अनुज्ञापन प्राधिकारी के नाम में प्रतिज्ञित होगी और अनुज्ञापन प्राधिकारा का उक्त राशि अनुज्ञप्तिधारी बंद करने पर अथवा अन्य किसी कारणवश मुक्त करने का स्वत्वाधिकार प्राप्त होगा।

8. लाईसेंस नामंजूर करने की शक्ति—(1) अनुज्ञापन पदाधिकारी, प्रस्तावित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर तथा अपने द्वारा लेखबद्ध किये जाने वाले कारणों से अनुज्ञप्ति मंजूर करने या उसका नवीकरण करने से इनकार

(2) अनुज्ञापन प्राधिकारी किसी लाईसेंस को मंजूर करने या उसका नवीकरण करने से इनकार करेगा

(क) आवेदक अवयस्क है या पागल है या विकृतचित है, या

(ख) आवेदक अनुन्मोचित दिवालिया है, या

(ग) आवेदक को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का केन्द्रीय अधिनियम 10) के अ ठहराये जाने की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि समाप्त नहीं हो गयी है।

(3) अनुज्ञापन प्राधिकारी किसी विशिष्ट व्यापारिक वस्तु के लिये अनुज्ञप्ति मंजूर करने से भी इनकार क

(क) आवेदक ने जिस व्यापारिक वस्तु के लिए आवेदन किया है, उस कारबार के लिये उसी स्थान व्यापारी को पहले अनुज्ञप्ति जारी कर दी गई हो, या

(ख) आवेदक ने एक ही स्थान पर एक ही व्यापारिक वस्तु के लिये थोक और खुदरा दोनों ही अ आवेदन किया हो।

9. अनुज्ञप्ति में परिवर्द्धन तथा परिवर्तन—अनुज्ञापन प्राधिकारी [1][उचित अवसर प्रदान करने के बाद] गोत स्थान, भागीदारों के नामों, व्यापारिक वस्तुओं आदि के संबंध में अनुज्ञप्ति में की गई प्रविष्टियों में [2][* * *] अनुज्ञप्ति पर आवश्यक परिवर्द्धन, विलोपन तथा परिवर्तन कर सकेगा।

10. अनुज्ञप्ति की शर्तों का उल्लंघन—इस आदेश के अधीन जारी की गई अनुज्ञप्ति का कोई भी धारक या या सेवक या उसके निमित्त कार्य करने वाला अन्य कोई व्यक्ति अनुज्ञप्ति के निबंधनों तथा शर्तों में से किसी का करेगा।

11. लाईसेंस का निलम्बन तथा रद्दकरण—(1) यदि कोई अनुज्ञप्तिधारी या उसका अभिकर्त्ता या सेवक कार्य करने वाला अन्य कोई व्यक्ति अनुज्ञप्ति के निबंधनों तथा शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन करता है, तो आवश्यक 1955 (1955 का केन्द्रीय अधिनियम 10) के अधीन उसके विरुद्ध की जाने वाली किसी अन्य कार्यवाही पर प्र बिना उसकी अनुज्ञप्ति (लाईसेंस) प्राधिकारी के लिखित आदेश द्वारा एक या अधिक व्यापारिक वस्तुओं के संबंध की जा सकेगी तथा ऐसे निलम्बन या रद्दकरण के संबंध में, उसकी अनुज्ञप्ति में प्रविष्टि की जायेगी।

(2) इस खण्ड के अधीन रद्दकरण का कोई आदेश तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि अनुज्ञप्तिधा रद्दकरण के विरुद्ध अपने मामले का कथन करने का समुचित अवसर न दे दिया गया हो। किन्तु अनुज्ञप्ति रद्दकर के लंबित रहने के दौरान या उसको ध्यान में रखते हुए अनुज्ञप्ति, अनुज्ञप्तिधारी को अपने मामले का कथन कर

---

1. जी.एस.आर. 47 दिनांक 17.10.1985 द्वारा अन्तःस्थापित।

2. लुप्त (तथैव)।

(ख) अनुज्ञापत्र धारक ने इस आदेश के उपबंधों का उल्लंघन किया है, या

(ग) कि अनुज्ञापत्र का जारी किया जाना, अनुज्ञापत्र जारी करनेवाले अधिकारी की राय में तथा उसके द्वारा लेखबद्ध किये जाने वाले कारणों से अन्यथा न्यायोचित नहीं था।

भाग 4

प्रकीर्ण

24. सूचना माँगने की शक्ति—प्रत्येक व्यापारी, जब अनुज्ञापत्र प्राधिकारी के साधारण या विशेष निर्देशों द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाय कि किसी व्यापारिक वस्तु के सम्बन्ध में ऐसी विशिष्टयां या सूचनाएं जिनकी अपेक्षा की जाय, सत्यतापूर्वक तथा अपनी उत्तम जानकारी के अनुसार प्रस्तुत करेगा।

25. व्यापारियों को निदेश जारी करने की शक्ति—राज्य सरकार या कलक्टर या अनुज्ञापन प्राधिकारी समस्त या कोई भी व्यापारिक वस्तुओं के क्रय-विक्रय, व्यय, भंडारण की कीमत और स्टॉक की सूची के प्रदर्शन के सम्बन्ध में किसी व्यापारी को निदेश जारी कर सकेगा।

26. अनुसूचियों को संशोधित करने की शक्ति—राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचित किसी आदेश द्वारा अनुसूचियों में कोई व्यापारिक वस्तु को जोड़ सकेगी या उनसे उसका लोप कर सकेगी तथा तदुपरान्त वे अनुसूचियाँ तदनुसार संशोधित की हुई समझी जायेगी।

[1][27. **आयुक्त तथा कलक्टर की अन्तर्निहित शक्तियां**—इस आदेश में निर्दिष्ट शक्तियों के अतिरिक्त

(क) किरासन तेल कंपनियों, [2][* * *] एवं एल० पी० गैस विक्रेताओं के लिये समाहर्त्ता अपने अधिक्षेत्र की सीमाओं के भीतर अनुज्ञापन प्राधिकारी होंगे।

(ख) समाहर्त्ता, अनुसूची I में विनिर्दिष्ट किसी भी व्यापारिक वस्तु के थोक विक्रेताओं के संबध में (जिसमें अपने अधिक्षेत्र की सीमाओं के भीतर नियुक्त किरासन तेल कंपनियों के अभिकर्त्ता सम्मिलित है) अपने अधिक्षेत्र की सीमाओं के भीतर अनुज्ञापन प्राधिकारी होंगे।

(ग) अनुमंडल पदाधिकारी एवं विशिष्ट पदाधिकारी प्रभारी अनुभाजन अनुसूची I में विनिर्दिष्ट किसी भी व्यापारिक वस्तु के खुदरा विक्रेताओं के संबंध में अपने अधिक्षेत्र की सीमाओं के भीतर अनुज्ञापन प्राधिकारी होंगे।]

28. अपील—(i) किसी अधिकारी द्वारा इस आदेश के अधीन किये गये आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति—

(क) यदि आदेश कलक्टर से नीचे के रैंक के किसी अधिकारी द्वारा किया गया हो तो क्लेक्टर को अपील कर सकेगा, तथा

(ख) यदि आदेश कलक्टर द्वारा किया गया हो तो प्रमंडल के आयुक्त को अपील कर सकेगा।

---

1. जी० एस० आर० 47 दिनांक 17.10.1985 द्वारा प्रतिस्थापित।

2. जी० एस० आर० 12 दिनांक 21.4.1992 द्वारा "कोल डम्प होल्डर और कोल एजेंट" लुप्त।

भाग "घ" (खाद्य तेल)

1. सरसों का तेल
2. तिल्ली का तेल
3. मूंगफली का तेल
4. तारामीरा का तेल
5. अलसी का तेल
6. राईडा का तेल
7. हाइड्रोजनकृत वनस्पति तेल
8. आयातित खाद्य तेल

भाग "ङ" (अन्य वस्तुएँ)

1. चीनी
2. केरोसिन तेल
3. [1][* * *]
4. [2][* * *]
5. कपड़ा एवं सूत
6. [3][लिक्वीफाइड पेट्रोलियम गैस]

अनुसूची II

1. चाय (सभी प्रकार की)
2. टायर तथा ट्यूब (साईकिल, रिक्शा, कार, बस, जीप, ट्रक, ट्रैक्टर तथा ट्रोली, पशुओं द्वारा खींची जाने वाली गाड़ी तथा अन्य वाहन)
3. साबुन (धोने तथा नहाने का)
4. डिटरजेंट पाउडर
5. दियासलाई
6. टार्च तथा ट्रांजिस्टर के सेल
7. लाल मिर्च (सूखी)
8. अभ्यास पुस्तिका
9. उर्वरक
10. ब्रेड
11. [4][सोडा-ऐश]
12. कागज (सभी किस्मों का)

---

1. जी.एस.आर. 12 दिनांक 21.4.1992 द्वारा "कोयला" लुप्त।
2. जी.एस.आर. 18 दिनांक 17.11.1990 द्वारा "सिमेंट" लुप्त।
3. जी.एस.आर. 47 दिनांक 17.10.1985 द्वारा प्रतिस्थापित।
4. जी.एस.आर. 47 दिनांक 17.10.1985 द्वारा क्रम संख्या "11 देशी घी" लुप्त एवं क्रम संख्या 12 एवं 13, 11 एवं 12 के रूप मे पुनः संख्यापित।

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक - प्र06-कि0आ0-43/2002 - 2054 खाद्य, पटना/दिनांक - 19.6.

प्रेषक,

सुरेश कुमार वर्मा,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
सीतामढ़ी ।

विषय :- ठेला भेंडर को निलंबन से मुक्त करने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक 1357 दिनांक 27.11.06 द्वारा विभागीय पत्रांक 3874 आ0 वा0, दिनांक 03.12.03 में दर्शाये गये निर्देश में जन वितरण प्रणाली दुकानों का अनुज्ञप्ति निलंबन की विधि सम्मत कार्रवाई अनुज्ञापन पदाधिकारी द्वारा की जायेगी लेकिन निलंबन से मुक्त करने के पूर्व जिला पदाधिकारी की स्वीकृति आवश्यक होगी, की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए ठेला भेंडर को निलंबन से मुक्त करने के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा निर्देश की अपेक्षा की गई है ।

2. उक्त सन्दर्भ में कहना है कि जन वितरण प्रणाली के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2001 लागू की गई है लेकिन ठेला भेंडर पर बिहार व्यापारिक वस्तु (अनुज्ञापन एकीकरण) आदेश 1984 ही लागू है । इस आदेश के तहत ठेला भेंडर की अनुज्ञप्ति निर्गत करने तथा मुक्त करने का दायित्व अनुज्ञापन पदाधिकारी को प्रदत्त है ।

अतः जन वितरण प्रणाली विक्रेता तथा ठेला भेंडर की अनुज्ञप्ति को निलंबन से मुक्त करने के सम्बन्ध में एकरूपता बनाये रखने के उद्देश्य से सरकार के स्तर पर यह निर्णय लिया गया है कि ठेला भेंडर की अनुज्ञप्ति के निलंबन के पश्चात् अनुज्ञापन पदाधिकारी द्वारा जिला स्तरीय चयन समिति को एक पक्ष के अंदर अनुज्ञप्ति निलंबन से सम्बन्धित अभिलेख भेजकर उक्त समिति की अनुशंसा के आलोक में ही अनुज्ञापन पदाधिकारी द्वारा अग्रेत्तर कार्रवाई की जायेगी ।

कृपया उक्त निर्णय से अधीनस्थ पदाधिकारियों को तुरत अवगत करा दिया जाय एवं तदनुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाय ।

विश्वासभाजन,
ह0/-
(सुरेश कुमार वर्मा)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञाप संख्या - प्र06-कि0आ0-43/2002 - 2054 खाद्य, पटना/दिनांक - 19.6.0

प्रतिलिपि - सभी प्रमंडलीय आयुक्त/आरक्षी उप महानिरीक्षक(खाद्य), बिहार, पटना/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप निदेशक(खाद्य)/विशिष्ट पदाधिकारी (अनुभाजन), पटना/अपर जिला दण्डाधिकारी (आपूर्ति), पटना/सभी अनुमंडल पदाधिकारी/सभी सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी / सभी पणन पदाधिकारी/सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी एवं सभी आपूर्ति निरीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

19.6

सरकार के संयुक्त सचिव